

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर,
कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन

क्रमांक: कोर्ट / रीडर / 2023 / 470 दिनांक: 06.09.2023

प्रेषिति- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर।

विषय :- प्रकरण संख्या 21/2022 अनवान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर
बनाम नारायण राठी (कोड एवं क्रमांक Q-1912) में निर्णय दिनांक 04.09.2023
की अनुपालना बाबत।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2023
की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ सलंगन प्रेषित है। अभियुक्त पर फूड सेफ्टी एण्ड
स्टैंडर्ड रूल्स 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने के फलस्वरूप इसी
अधिनियम की धारा 51 के प्रावधान अनुसार विक्रेता एवं मालिक नारायण राठी पुत्र श्री
सुखाराम राठी फर्म:- मैसर्स श्री राधेकृष्ण दूध डेयरी भांवता रोड, कुचामन सिटी निवासी गांव
नांदोली बास, नांदोली चांदावता तहसील मकराना पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये
पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की गई है। अभियुक्त को आदेश की प्रति भेज कर
एवं उक्त राशि वसूल कर निम्न बजट हैड में जमा करवाया जाकर चालान की प्रति इस
न्यायालय को भिजवाई जावें तथा संबंधित अभियुक्त को राशि जमा होने के चालान की
फोटो प्रति भिजवाते हुए सूचित किया जावें।

0210

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

04

लोक स्वास्थ्य

800

अन्य प्राप्तियाँ

(3)

खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र
शुल्क आदि।

सलंगन:- निर्णय की प्रमाणित प्रति

(कर्मला अलवारिया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला कलक्टर, कुचामनसिटी



अति. जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नारायण राठी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारी: कमला अलारिया, आर.ए.एस.)

आवेदक:-

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त:-

1. श्री नारायण राठी पुत्र सुखाराम उम्र 23 वर्ष जाति जाट (विक्रेता एवं मालिक)
निवासी- गांव नांदोली बास, नांदोली चांदावता तहसील मकराना।
फर्म- श्री राधेकृष्णा दूध डेयरी भांवता रोड़, कुचामन सिटी

प्रकरण संख्या :- 21/2022

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं
दण्डनीय धारा 51 "

उपस्थिति:-

1. अधिवक्ता श्री मुरलीधर जोशी अभियुक्त की ओर से।

-:निर्णय :-

दिनांक :- 04 सितम्बर, 2023

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.05.2022 को समय 12:05 पी.एम. पर फर्म मैसर्स श्री राधेकृष्णा दूध डेयरी भांवता रोड़, कुचामन सिटी पर पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति नारायण राठी पुत्र सुखाराम राठी, निवासी गांव नांदोली बास, नांदोली चांदावता तहसील मकराना पर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को विक्रय वास्ते दूध, दही आदि रखे पाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पेश किया। जिसकी छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
- (2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहाँ पर लगभग 15 लीटर दूध फीज के अन्दर एक प्लास्टिक की बाल्टी में आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। विक्रेता को पुछने पर बताया कि उक्त दूध भैंस का दुध है। इनमें

Page 1 of 5



अति. जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बताया गया था कि यह भैंस का दूध का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जांच हेतु ले रहे हैं। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता से उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ 15 लीटरभैंस का दूध को हिला मिलाकर एकरूप करके उसमें से 2 लीटर भैंस का दूध नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी किमत विक्रेता मालिक को रु. 110/- नगद (अक्षरों एक सौ दस रु. मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ, सूखी एवं खाली चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा भैंस का दूध को चार बराबर-बराबर भागों में बाटकर चारों साफ सुखे एवं खाली बोतलों में डाला एवं प्रत्येक बोतल में 40-40 बुंद फार्मलिन की बतौर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारों नमूना बोतलों के ढक्कन से एयर टाइट बन्द किया। उक्त चारों भागों के लिए विक्रेता मालिक एवं गवाहान की उपस्थिति में चार अलग-अलग लेबल तैयार कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q-1912 लिखा एवं अन्य विवरण अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक Q-1912 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नारायण राठी एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर श्री माणकचन्द वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य



अति. जिला कलक्टर
कुश्वाहन सिटी

प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

- (3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2022/429 दिनांक 10.06.2022 मय जांच रिपोर्ट संख्या LS/763/Act/2022/624 दिनांक 01.06.2022 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया उक्त नमुना भैंस का दूध सबस्टेण्डर्ड है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांक:-चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2022/429 दिनांक 10.06.2022 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता नारायण राठी ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ भैंस का दूध सबस्टेण्डर्ड विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

- (4) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 27.06.2023 को अभियुक्त नारायण राठी पुत्र सुखाराम राठी मय अधिवक्ता श्री मुरलीधर के उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। प्रार्थी को पर्याप्त समय देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः प्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।
- (5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. L.S/763/Act/2022/624 दिनांक 01.06.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion-The sample of Buffalo Milk bearing Code no. and Sr. no. Q-1912 of Designated Officer cum Chief Medical and Health



अति. जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

Officer, Nagaur is Sub Standards as it does not conform to the prescribed standard and provisions of Food Safety and Standards Act 2006.

जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नारायण राठी से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ भैंस का दूध नमूना नं.-1912 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) है जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(6) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जा.रि/2022/429 दिनांक 10.06.2022 से उक्त अभियुक्त श्री नारायण राठी को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-1912 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया गया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर विक्रेता एवं मालिक नारायण राठी पुत्र श्री सुखाराम राठी निवासी गांव नांदोली बास, नांदोली चांदावता तहसील मकराना दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत विक्रेता एवं मालिक नारायण राठी पुत्र श्री सुखाराम राठी फर्म:- मैसर्स श्री राधेकृष्ण दूध डेयरी भांवता रोड़, कुचामन सिटी पर राशि रूपये 25,000/- (अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) की



अति. जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नारायण राठी

राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(7) आदेश दिनांक 04.09.2023 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कमला अरौरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला कलक्टर, कुचामनसिटी